न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 101/2016
प्रविष्टि दिनांकः— 01.09.2016

उनवान

अल्ताफ हुसैन पुत्र रहीम बक्ष जाति मुसलमान लुहार निवासी ग्राम धुंवाकला तहसील देवली जिला टोंक (राज)

..... अपीलाण्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक
2. सलीम पुत्र रहीम बख्श
3. अब्दुंल रहमान पुत्र रहीम बख्श
4. जमील पुत्र अब्दुल रहमान
5. नूरजहां पुत्र रहीम बख्श
6. टनवरजहां पुत्री रहीम बख्श
7. जमीला पुत्री रहीम बख्श
8. गुलाब बेवा रहीम बख्श
9. वजीर मौहम्मद पुत्र बशीर खां
10. नन्नी बेवा बशीर खां

समस्त जाति मुसलमान निवासीयान धुंवाकला तहसील देवली जिला टोंक राज0

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 08.12.1994 (विरासत) नायब तहसीलदार नगरफोर्ट तह0 दूनी

उपस्थितः (1)श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला.... अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) रेस्पाडेण्ट्स अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 17.05.2018

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी ख.नं. 246 रकबा 0.72 हैक्ट., ख0नं0 247 रकबा 0.43 हैक्ट. ख0नं0 1490 रकबा 0.34 हैक्ट., ख0नं0 1492 रकबा 0.53 हैक्ट., ख0नं0 1446 रकबा 0.21 हैक्ट. ख0नं0 1720 रकबा 2.19 हैक्ट., ख0नं0 1905 रकबा 0.85 हैक्ट., कुल रकबा 5.27 हैक्ट. व ख0नं0 249 रकबा 0.10 हैक्ट. व ख0नं0 1494 रकबा 0.70 हेक्टेयर वाके ग्राम धुंवाकला तहसील दूनी में स्थित है जिसका इन्द्राज हाल जमाबंदी के खाता संख्या क्रमांक 260 259 व 261 मौजूद है। पूर्व में उक्त भूमि अपीलाण्ट के पिता रहीम बख्श की खाते में दर्ज थी। उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामांतकरण अपीलाण्ट के साथ साथ उसके बहन भाई व माता के रेस्पोडेण्ट्स सं0 2 ता 8 के हक में जरिये नामांतकरण संख्या 148 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

08.12.1994 नायब तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा बाद जांच तस्दीक किया गया जो विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन रेस्पोडेण्ट्स की तलबी की गई। मूल नामान्तरकरण भी मंगवाया गया। रेस्पोडेण्ट्स सं0 2ता 10 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा कई अवसर दिये जाने पर भी पेश नहीं किया गया और वह तथा रेस्पोडेण्ट्स न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा की जाती है। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट सुनी गई।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त नामांतकरण सं0 148/08.12.1994 विधि विरूद्व है और अपीलाण्ट की हद तक निरस्त किया जाकर उसके दस्तावेजो में अंकित नाम के आधार पर निरस्त करके शुद्व किये जाने योग्य है, उक्त नामांतकरण अशुद्व होने के कारण और अपीलाण्ट का नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण अपीलाण्ट को सरकारी योजनाओ का लाभ उठाने व अन्य कार्यवाहीयों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है, अपीलाण्ट के सौ वर्ष पुरे होने के बाद अपीलाण्ट के वारिसो के हक में उक्त भूमि का नामांतकरण तस्दीक किये जाते समय भी अपीलाण्ट के वारिसो को परेशानी होने की संभावना है एवं अपीलाण्ट को अपने हक व हिस्से की भूमि का हस्तांतरण जैस रहन, दान, बैचान, हिबा आदि करने मे भी उक्त नामांतकरण में हुई अशुद्वि से काफी समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। उक्त नामांतकरण में नाम गलत होने का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमि हस्तांतरण करके अनुचित लाभ उठाने की पूरी संभावना है, उक्त नामांतकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व हल्का पटवारी द्वारा की जाने वाली जांच में अपीलाण्ट का नाम अल्ताफ हुसैन होने का तथ्य व दस्तावेज भलीभांति इस स्पष्ट व प्रस्तुत कर दिये थे परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा उक्त नामांतकरण में अपीलाण्ट का नाम गलत रूप से अल्ताफ हुसैन के स्थान पर नन्ने खां दर्ज किया जाकर भारी भूल की है। अपीलाण्ट द्वारा उसके आई.डी. ग्राम पंचायत चारनेट द्वारा प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड की फोटो प्रति भी पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर उक्त नामांतकरण मे हुई अशुद्वि को दुरूस्त किया जाकर अपीलाण्ट का नाम नन्ने खां के स्थान पर अल्ताफ हुसैन दर्ज किया जावे।

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त फौती का नामांतकरण नियमानुसार स्वीकृत किया गया। संलग्न दस्तावेजात में अपीलाण्ट का नाम भी नन्ने खां ही अंकित दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अतः दस्तावेजात के आधार पर नामांतकरण सही भरा गया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश यथावत रखा जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षो की बहस को सुना। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम धुंवाकला तहसील दूनी में अपीलाण्ट के पिता रहीम बख्श की मृत्यु के पश्चात फोती का नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 08.12.1994 पुत्र नन्ने खां, सलीम, अब्दुल रहमान, जमील एवं नूरजहां, अनवरजहां, जमीला पुत्रियां, गुलाब बेवा रहीम बख्श सा0 देह खातेदार के नाम हिस्सा 1/2 हिस्सा नायब तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट का यह कथन है कि उक्त नामांतकरण मे अंकित व्यक्ति उसके परिवारजन के है। अपीलाण्ट का यह भी तर्क है कि उक्त नामांतकरण में प्रार्थी का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

नाम अल्ताफ हुसैन के स्थान पर नन्ने खां गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र की फोटो में अपीलाण्ट अल्ताफ हुसैन व नन्है खां को एक ही व्यक्ति के रूप में माना है, आई.डी. में अल्ताफ हुसैन एवं परिवार के राशन कार्ड में नन्है खां उर्फ अल्ताफ हुसैन अंकित किया गया है। उक्त सभी तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि मृतक रहीम बख्श के वारिसान की मौके पर जांच कर वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरा जाना चाहिये। अतः उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त नामान्तरकरण को नायब तहसीलदार नगरफोर्ट को पुनः जांच कर वास्तविक वारिसान के नाम भरे जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

आदेश

6. फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 08.12.1994 ग्राम धुंवाकला तहसील देवली, निरस्त कर नायब तहसीलदार नगरफोर्ट को रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक रहीम बख्श के वारिसान की वास्तविकता की जांच कर व पक्षकारान को सुनकर पुनश्चः नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करें।

7. निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)